कानून तथा नैतिकता (Law and Morality)

कानून तथा नैतिकता में भेद —

(i) नैतिकता का क्षेत्र कानून की अपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत है। नैतिकता का सम्बन्ध मनुष्य के बाहरी तथा आन्तरिक, सम्पूर्ण जीवन के साथ होता है, परन्तु कानून का सम्बन्ध व्यक्ति के केवल बाहरी आचरण के साथ होता है। यह सत्य है कि कानून कभी-कभी व्यक्ति के आन्तरिक भावों का भी अध्ययन करता है, परन्तु ऐसा केवल पृष्ठभूमि के रूप में बाहरी आचरण के उद्देश्य निश्चित करने के लिए ही किया जाता है।

(ii) कानून राज्य की शक्ति द्वारा मनवाये जाते हैं, परन्तु नैतिक नियमों के पीछे इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती। उनका पालन तो व्यक्ति अपने अन्तःकरण की प्रेरणा से ही करता है। यदि कोई कानून को न माने, तो उसे राज्य द्वारा अवश्य ही दण्डित किया जाएगा, परन्तु यदि कोई नियमों का पालन न करे, तो उसे इस प्रकार का कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता। अधिक से अधिक समाज के द्वारा उसे घृणित दृष्टि से देखा जा सकता है।

(iii) कानून निश्चित और सर्वव्यापी होते हैं अर्थात सभी नागरिकों पर एक जैसे लागू होते हैं, परन्तु नैतिक नियम अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं और नैतिकता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होता है क्योंकि ये तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने मन अथवा अन्तरात्मा के आदेश हैं।

(iv) सभी अनैतिक बातें गैर-कानूनी नहीं होतीं और सभी गैर-कानूनी बातें भी आवश्यक रूप से अनैतिक नहीं मानी जा सकती हैं। उदाहरण, दूसरों के अमंगल की कामना करना अनैतिक है, परन्तु गैर-कानूनी नहीं। इसी प्रकार झूठ बोलना नैतिक नहीं है, किन्तु जिस झूठ का प्रयोग दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं किया जाता है, गैर-कानूनी नहीं होता। इसके विपरीत एक नगर की व्यस्त सड़कों

Avinash

Scanned with CamScanner

पर दाहिनी ओर गाड़ी चलाना एक सामाजिक अपराध और कानून द्वारा निषिद्ध है, परन्तु इस प्रकार का कार्य गैर कानूनी होते हुए भी अनैतिक नहीं है। राज्य के इस प्रकार के कानून नैतिकता की अपेक्षा व्यावहारिक सुविधा पर आधारित होते हैं।

कानून तथा नैतिकता में सम्बन्ध -

कानून तथा नैतिकता में इतना अन्तर होते हुए भी दोनों में बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। मनुष्य स्वभावतः एक नैतिक प्राणी है और वह केवल राज्य के भीतर रहकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, क्योंकि राज्य उसके नैतिक जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। पुनः कानून समाज में प्रचलित नैतिक विचारों की ही देन होते हैं और कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत नैतिकता होती है। वस्तुतः जब नैतिक विचार स्थायी और प्रचलित हो जाते हैं, तो वे कानून का रूप ग्रहण कर लेते हैं।

कानून प्रायः नैतिकता के प्रतिबिम्ब होते हैं और इस सम्बन्ध में ग्रीन का कथन है कि जो कानून लोगों की नैतिक धारणा के अनुकूल नहीं होते, उन्हें लागू करना असम्भव हो जाता है तथा जो कानून प्रचलित नैतिक स्तरों को नहीं छूते, लोग उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। विल्सन ने लिखा है कि कानून देश की नैतिक प्रगति के दर्पण होते हैं। यद्यपि बाल विवाह को सम्पूर्ण भारत में और मद्य निषेध को भारत के कई राज्यों में कानून निषिद्ध घोषित कर दिया गया, किन्तु फिर भी ये बुराइयां विद्यमान हैं, क्योंकि भारतीय समाज की नैतिक धारणा बाल विवाह और मद्यपान के पूर्णतया विरुद्ध नहीं है।

कानून के द्वारा भी नैतिक स्तर और विचारों को परिमार्जित करने का कार्य किया जाता है। उदाहरण - सती प्रथा निषेध कानून ने इस सम्बन्ध में नैतिक मान्यता को परिमार्जित किया है और बाल विवाह के सम्बन्ध में नैतिक मान्यता को प्रभावित किया जा रहा है।

Mukesh

Scanned with CamScanner

व्यवहार में कानून और नैतिकता एक-दूसरे के सहायक के रूप में कार्य करते है। नैतिकता के द्वारा व्यक्ति के विचार और आचरण को सुधार कर कानून के पालन हेतु आवश्यक मनोभावना उत्पन्न की जाती है तो दूसरी ओर कानून नैतिक व्यवहार के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा करता है। बार्कर के अनुसार, कानून नैतिकता की रक्षा के लिए उसके चारों ओर एक चहारदीवारी है।

निष्कर्षतः, नैतिकता और कानून में इतना सादृश्य है कि कई बार अवैध और अनैतिक की विभाजन रेखा को पहचानना कठिन हो जाता है, जो बात आज अनैतिक है, कल अवैध हो सकती है या जो आज अवैध है कल अनैतिक भी हो सकती है। अतः कानून और नैतिकता परस्पर घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित है। आइवर ब्राउन के शब्दों में, राजनीतिक सिद्धान्तों के अभाव में नैतिक सिद्धान्तवाद अपूर्ण रह जाता है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज से विलग नहीं रह सकता, नैतिक सिद्धांतों के अभाव में राजनीतिक सिद्धान्त, निरर्थक रह जाते है क्योंकि उनका अध्ययन और उनके परिणाम मूलतः हमारे नैतिक मूल्यों की व्यवस्था पर, हमारे सही और गलत की धारणाओं पर निर्भर करते हैं।

Avinash

Scanned with CamScanner